न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 93/2018

उनवान

छोटूनाथ पुत्र हरनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मण्डियानी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :–31.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 479/0.47, 480/0.10, 481/0.65 जिसके वंर्किग खसरा नम्बर 209 रकबा 11–00–0 व 210 रकबा 4–0–0 है की आराजी नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 6.7.84 से प्रार्थी के पिता हरनाथ के नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी दर्ज की गयी। नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 8.1.96 से उक्त आराजी हरनाथ फौत के स्थान पर किशननाथ, छोटूनाथ पि0 हरनाथ गैर खातेदार दर्ज हुआ। नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 19.07.04 के अनुसार 209 रकबा 11–0–0 व 210 रकबा 4–0–0 की खातेदारी किशननाथ, छोटूनाथ पि0 हरनाथ जोगी के नाम अंकन स्वीकार हुआ। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। किन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त उक्त आराजी को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के आदेश पारित करावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 210 रकबा 4–0–0 के हाल खसरा नम्बर 481 रकबा 0.65 है0 बने है तथा वंर्किग खसरा नम्बर 209 मिन रकबा 0–10–0 व 209 मिन रकबा 11–0–0 के हाल खसरा नम्बर 479/0.47, 480/0.10, 482 मिन/0.74, 500/1756 रकबा 0.47 व 480/2037 रकबा 0.08 बने है। हाल खसरा नम्बर 480/2037 रकबा 0.08 वर्तमान में किशननाथ व छोटूनाथ पि0 हरनाथ के नाम खातेदारी दर्ज है। शेष हाल खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 209 व 210 चौसाला जमाबंदी अनुसार खा0स0 1 से हरनाथ पुत्र पूरानाथ के नाम गैर खातेदारी का अंकन हुआ। नामान्तकरण संख्या 29/8.1.96 से उक्त खसरा नम्बर पर विरासत दर्ज की गयी एवं नामान्तकरण संख्या 311/19.7.04 से उक्त आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी। नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 20.8.04 से उक्त खसरा नम्बर एस0बी0बी0जे0 शाखा नसीराबाद के नाम रहन दर्ज की गयी।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 15:54:27 IST
Reason: SelfAttested

नसीराबाद (अजमेर)

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 209 रकबा रकबा 11–0–0 व 210 रकबा 4–0–0 चौसाला जमाबंदी अनुसार हरनाथ पुत्र पूरानाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 209 का शेष रकबा 0–10–0 नामान्तकरणर संख्या 197 दिनांक 06.07.84 से हरनाथ पुत्र पूरानाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुआ। हरनाथ के फौत होने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 08.01.96 से उक्त आराजी जरियें विरासत किशननाथ व छोटूनाथ पि0 हरनाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 19.07.04 से उक्त आराजी पर किशननाथ व छोटूनाथ पि0 हरानाथ को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गयी। खातेदारी दर्ज होने के बाद दोनो खातेदारों द्वारा उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लिया गया जिस कारण नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 20.8.04 से उक्त खसरा नम्बर एस0बी0बी0जे0 शाखा नसीराबाद के नाम रहन दर्ज की गयी।

तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त सभी नामान्तरकरण आदेश की पालना अंकित की गयी व आराजी मुतनाजा में प्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया। तहसीलदार नसीराबाद के जवाब से भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है भूमिधारी तहसीलदार नसीराबाद द्वारा यह स्पष्ट नही किया कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी, नाही प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के खडन हेतु कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य पेश की है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी आदेश अथवा नामान्तकरण के परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। ख0न0 480/2037 हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। शेष खसरा नम्बर पर प्रार्थी इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 500/1756 रकबा 0.47, 479 रकबा 0.47, 480 रकबा 0.10, 482 मिन रकबा 0.74 व 481 रकबा 0.65 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का नाम दर्ज करने के आदेश दियें जाते है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रार्थी का हिस्सा नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 20.8.04 के अनुसार एस.बी.बी.जे. शाखा नसीराबाद के नाम रहन दर्ज रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्व्यं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 15:54:27 IST
Reason: SelfAttested